प्रेस विज्ञप्ति
12.07.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय ने ऑनलाइन साइबर धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन जांच, जिसमें "फर्जी निवेश" तथा "वर्क फ्रॉम होम" घोटाले शामिल हैं, के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक **10.07.2026 एवं 11.07.2026** को **तमिलनाडु में 16 (सोलह) स्थानों, केरल में 2 स्थानों तथा श्रीनगर में 1 स्थान** पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने तमिलनाडु पुलिस एवं तेलंगाना पुलिस द्वारा क्रमशः दर्ज **एफआईआर संख्या 25/2025** तथा **एफआईआर संख्या 637/2022** के आधार पर जांच प्रारंभ की। उक्त प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता, 2023/भारतीय दंड संहिता, 1860 तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दर्ज की गई थीं, जो धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अनुसूचित अपराध हैं।

ईडी की जांच में यह सामने आया कि अज्ञात साइबर धोखेबाजों ने आकर्षक प्रतिफल एवं कमीशन का झूठा आश्वासन देकर निर्दोष व्यक्तियों को फर्जी ऑनलाइन निवेश मंचों तथा धोखाधड़ीपूर्ण "वर्क फ्रॉम होम" योजनाओं में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रलोभन के चलते शिकायतकर्ताओं ने आरोपियों के नियंत्रण वाले विभिन्न बैंक खातों में 14.95 करोड़ रुपये स्थानांतरित किए। इसके पश्चात धनराशि को तुरंत अनेक म्यूल बैंक खातों एवं शेल संस्थाओं के माध्यम से लेयरिंग की गई तथा बाद में उसे क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित कर अनेक क्रिप्टो वॉलेट्स के माध्यम से आगे भेजा गया, ताकि उसके स्रोत एवं वास्तविक स्वामित्व को छिपाया जा सके।

आगे की जांच में यह भी सामने आया कि रोशन फ़ैयाज़ अपराध से अर्जित आय के धन शोधन में संलिप्त प्रमुख व्यक्तियों में से एक है। उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अपने नाम, अपनी पत्नी के नाम तथा मेसर्स विंग्सऑनविंग्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स ट्रेडिंग व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड तथा गार्नेट मैनेजमेंट कंसल्टिंग सहित विभिन्न शेल संस्थाओं के माध्यम से अनेक म्यूल बैंक खातों का संचालन एवं नियंत्रण किया। एफआईआर संख्या 25/2025 से संबंधित लाभार्थी बैंक खातों के विश्लेषण से यह भी सामने आया कि धोखाधड़ी की धनराशि प्राप्त करने वाले अनेक खाते म्यूल खाते थे, जिन्हें धन प्राप्त होने से ठीक पहले खोला गया तथा धनराशि के आगे स्थानांतरण के बाद बंद कर दिया गया।

जांच में यह भी पाया गया कि एफआईआर संख्या 25/2025 में अपराध से अर्जित आय में से 80,000 रुपये मेसर्स आर.के. इलेक्ट्रिकल (स्वामित्व : एहशाक शरीफ) के बैंक खाते में स्थानांतरित किए गए, जो रोशन फ़ैयाज़ से संबद्ध संस्था है। जांच से यह भी सामने आया कि अपराध से अर्जित धनराशि को मेसर्स आर.के. इलेक्ट्रिकल, बालमणि ऑयल स्टोर एंड एजेंसी, मेसर्स जेके फुटवियर, टीम वेल इंजीनियरिंग तथा अन्य व्यावसायिक संस्थाओं एवं उनसे जुड़े व्यक्तियों के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर स्थानांतरित कर तथा वैध अर्थव्यवस्था में समाहित किया गया। एफआईआर संख्या 637/2022 के आरोपी लुबान परवेज़ के बैंक खाते की जांच से यह भी ज्ञात हुआ कि उसके खाते से रोशन फ़ैयाज़ के बैंक खाते में 45 लाख रुपये से अधिक की धनराशि स्थानांतरित की गई।

तलाशी के दौरान अनेक आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, मोबाइल फोन, लैपटॉप, बैंक खातों से संबंधित अभिलेख, कंपनियों के निगमित होने से संबंधित अभिलेख, लेखा-पुस्तकें तथा शेल संस्थाओं से संबंधित दस्तावेज बरामद कर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट, वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियां, क्रिप्टो एक्सचेंज खातों, रिकवरी फ्रेज़ तथा क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन से संबंधित अन्य डिजिटल साक्ष्यों का भी पता लगाकर उन्हें सुरक्षित किया गया। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लगभग 3.35 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी परिसंपत्तियां तथा 14.50 लाख रुपये की नकदी की पहचान कर उन्हें जब्त किया गया। आरोपियों एवं उनसे संबद्ध संस्थाओं के नाम पर संचालित **40 लाख रुपये** से अधिक की धनराशि वाले कई बैंक खातों को भी फ्रीज किया गया है।

मामले में आगे की जांच जारी है।